न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश- सह
अनन्य विशेष न्यायाधीश(उत्पाद), शिवहर।

हिरम्मा ......थाना अप्राथमिकी संख्या- 129/2022

धारा-37 बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद(संशोधित) अधिनियम 2022

1-12-2022

हिरम्मा थाना अप्राथमिकी संख्या- 129/2022, दिनांक- 1.12.22, धारा-37 बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद (संशोधित) अधिनियम 2022 के अंतर्गत दर्ज होकर प्राप्त हुआ। देखा। इसे पंजीकृत करें।

लेखापित

ह० अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-
सह अनन्य विशेष न्यायाधीश(उत्पाद), शिवहर

बाद में:-

1-12-2022

पु० अ० नि० हिरम्मा थाना द्वारा अभियुक्त महेन्द्र साह, उम्र करीब 40 वर्ष, पे०- स्व० ... साह सा०- परारु, थाना- शिवहर, जिला- शिवहर को गिरफ्तार कर मार्गरक्षी दल के सदस्यगण चौ०-............................ एवं चौ०- 8 ... के संरक्षण में प्रपत्र-VI, गिरफ्तारी ज्ञापन, ब्रेर्थ एनेलाइजर टेस्ट के प्रति एवं चिकित्सीय जाँच के प्रति के साथ न्यायालय में प्रस्तुत किये है। अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया। अभियुक्त मार्गरक्षी दल के सदस्यगण के विरुद्ध रास्ते में किसी प्रकार के दुर्व्यवहार की शिकायत नहीं करते है। अभियुक्त से पूछने पर बताते है कि उसकी गिरफ्तारी की सूचना उसके परिजन को दे दी गई हैं। अभियुक्त के बदन पर कोई भी चोट या जख्म का स्पष्ट निशान नहीं हैं।

अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तु वाद धारा -37 बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद (संशोधित) अधिनियम 2022 के अंतर्गत पंजीकृत हुआ है। अभियुक्त अपना दोष स्वीकार करता है तथा वह प्रार्थना करता हैं कि वह उसका पहला अपराध है। पु० अ० नि० ने भी विहित प्रपत्र-VI में अभियुक्त के पहला अपराध को अंकित किया है। अभियुक्त द्वारा विहित प्रपत्र-VI(क) को भरकर न्यायालय मे प्रस्तुत किये हैं। अतएव, धारा-37 बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद (संशोधित) अधिनियम 2022 के नियम 18(3) के आलोक में अलग विहित प्रपत्र-VII में आदेश पारित किया जाता है।

किन्तु आज न्यायालय में अवकाश होने की वजह से दण्ड की राशि जमा नहीं हो सकती है।

अतएव, अपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में अभियुक्त महेन्द्र साह द्वारा मो०- 2000/- का वैयक्तिक बंध-पत्र(P/R Bond) जमा करने पर इस शर्त के साथ मुक्त करने का आदेश दिया जाता है कि न्यायालय के अगले कार्य दिवस पर दण्ड की अधिरोपित राशि जमा कर देंगे, अन्यथा उचित कारवाई की जा सकती है।

लेखापित

ह० अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-

ह० महेन्द्र साह
8/हिरम्मा/129/22

बाद में:-

11-12-22 अभियुक्त महेन्द्र साह की ओर से ... बंध-पत्र(P/R Bond) दाखिल किया, जिसे संतोषप्रद पाकर स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा से मुक्त किया ... है।

लेखापित

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-,
सह. अनन्य विशेष न्यायाधीश(उत्पाद), शिवहर

12-12-22

अभियुक्त महेन्द्र साह की ओर से मो0-2,000/- रुपये के दण्ड की राशि चालान सं0-2057, दिनांक-12-12-22 एवं नजारत रसीद सं0-670, दिनांक-12-12-22 द्वारा जमा की गई। अतः अभियुक्त का वाद निष्पादित किया जाता है। कार्यालय अभिलेख अभिलेखागार में जमा करें।

लेखापित

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-
सह अनन्य विशेष न्यायाधीश(उत्पाद), शिवहर

प्रपत्र–vii

आदेश–पत्र के लिए फार्मेट

(नियम 18 देखें)

न्यायिक / कार्यपालक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में ......शिवहर......

केश नं0–......छिरम्मा थाना अप्राथमिकी सं0 - 129/22 dt. 10/12/22

बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम 2016

1.अभियुक्त का नाम......महेन्द्र साह......

2.उम्र ......करीब 40 वर्ष......

3.पिता का नाम ......स्व0 बुधन साह......

4.पता ......ग्रा0 पराही थाना + जिला शिवहर......

5.गिरफ्तारी की तिथि ,समय और स्थान ......दि0 10/12/22 समय 17:30 बजे, छिरौता झंडा बाजार

6.पुलिस / उत्पाद पदाधिकारी द्वारा जॉच रिपोर्ट समर्पित करने की तिथि ......11/12/22......

पुलिस / उत्पाद पदाधिकारी द्वारा समर्पित उपर उल्लिखित जॉच रिपोर्ट का अवलोकन किया। आज पुलिस / उत्पाद पदाधिकारी द्वारा उक्त अभियुक्त को प्रस्तुत किया गया हैं मै ं एतद्द्वारा बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा–37 के अधिन संज्ञान लेता हूॅं।

अभियुक्त के विरूद्व आरोप है कि उसने दिनांक......10/12/22......को

अल्कोहल का उपयोग किया था और वह ......छिरौता झंडा बाजार......(स्थान) में

पकड़ा गया।अभियुक्त की चिकित्सीय परीक्षा / श्वसन विश्लेषण करायी गयी जिससे सम्पुष्ट हुआ कि उसने अल्कोहल / शराब का उपयोग किया था।

उपर्युक्त आरोप अभियुक्त को पढ़कर समझाया गया। मैंने उसका बयाान दर्ज किया।

अभियुक्त से पुछा गया कि क्या वह दोषी होने का वचन करता हूॅ उसने दोषी हाने का अभीवचन किया है। मैं प्रथमदृष्ट्या संतुष्ट हूॅ कि उसके विरूद्व आरोप सूआधारित हैं।

इसलिए अभियुक्त को बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा–37 के अधीन ......2000/-......रूपये की राशि के भुगतान करने या उक्त जुर्माने की राशि के भुगतान में चुक होने पर ......30......दिनों के कारावास भोगने का दंडादेश दिया जाता है।

(हस्ताक्षर)

~~कार्यपालक मजिस्ट्रेट –सह–~~

~~न्यायिक मजिस्ट्रेट (द्वितीय श्रेणी~~)

Exclusive Special Judge
(Excise)
Sheohar
11/12-2022

तिथि :– 11/12/22

स्थान :– छिरम्मा थाना

बिहार –राज्यपाल के आदेश से

के0 के0 पाठक ,

सरकार के अवर मुख्य सचिव ।